न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 68/2025 बउनवानी मोहर सिंह गुर्जर **बनाम** तहसीलदार तलावडा
पुत्र शिवजीलाल गुर्जर निवासी टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तह0 तलावडा

GCMS No-2025/ 190

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
20.8.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 28.5.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *ग्राम टोटोलाई के ख0न0 263/1,263/14, 263/बटामिन व 336/1 से 336/14 व 335/1 से 335/15 को लेकर कुल 7 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना* " तहसीलदार तलावडा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जों दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अंधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2025/211 दिनांक 29.7.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.5.2025 से चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना के रूप मे जरिये पत्रांक 845 दिनांक 25.6.2025 से अपीलान्ट को ख0न0 661/246, 659/246,647/223,647/223, 639/222 एवं 678/263 के नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति भिजवायी गयी है तथा शेष बिन्दुओ की सूचना तहसील कार्यालय मे तलावडा में उपलब्ध नही होने के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.5.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 2,3 की सूचना के रूप मे उक्तानुसार 6 ख0न0 का नक्शा ट्रेस भिजवाया गया है जो उक्त बिन्दुओं की पूर्ण सूचना नही है तथा बिन्दु संख्या 1, 4,5,6,7 की सूचना तहसीलदार कार्यालय तलावडा मे उपलब्ध नही होने का कोई विधिसम्मत कारण नही बताया है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 2 व 3 की पूर्ण सूचना उपलब्ध करावे साथ ही शेष बिन्दुओं की सूचना तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होने का विधिसम्मत कारण भी अपीलान्ट को बतावे इसके अतिरिक्त यह भी बतावे कि उक्त बिन्दुओं की सूचना अपीलान्ट कौनसे कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:36:54 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner